

केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग,

हैदराबाद-500 004

GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD- 500004

Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204

e-mail:cgst.hydcommr@gov.in



C.No.II/3/1/2020-Estt.CCA

Date: 96-06-2020

<u>स्थापना आदेश (अराजपत्रित)सं. 35/2020</u>

ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O.) NO.35/2020

विषय -:स्थापना - केन्द्रीय कर के आशुलिपिक - II संवर्ग में अनंतिम नियुक्ति एवं तैनाती - संबन्धित ।
Sub: Estt. – Provisional Appointment and Posting in the cadre of Stenographer-II of Central Tax - Regarding.

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आशुलिपिक - \parallel पद हेतु नामित निम्नलिखित उम्मीदवारों को केन्द्रीय कर, हैदराबाद / विशाखापटनम क्षेत्र के सामान्य संवर्ग में आशुलिपिक – \parallel के रूप में, अस्थायी, सातवे वेतन आयोग के वेतन मट्रिक्स लेवल – 4 में वेतन रु॰ 25500/- [पुराने वेतनमान रु॰ 5200–20200 के वेतनमान में, पे-बैंड- 1 के अंतर्गत रु॰ 2400/- के ग्रेड-पे] और आशुलिपिक - \parallel संवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत महंगाई व अन्य भत्तों के साथ है, नियुक्त किया जाता है ।इनकी अनंतिम नियुक्ति उनके ड्यूटी पर लिए जाने की तिथि से प्रभावी होगी । केन्द्रीय कर के आशुलिपिक - \parallel के रूप में अनंतिम नियुक्ति के फलस्वरूप उनके नाम के विरूद्ध क्षेत्र आवंटित किया गया है।

The following candidates nominated by the Staff Selection Commission for the post of Stenographer – II of Central Tax in the common cadre of Hyderabad/Visakhapatnam Zones are hereby appointed provisionally as Stenographer - II and until further orders with the pay of Rs. 25500/- in pay matrix Level - 4 of 7th CPC [pre-revised pay scale of Rs.5200 - 20200, under PB 1 with Grade Pay of Rs.2400/-] and such dearness and other allowances as admissible to the cadre of Stenographer - II from time to time. Their provisional appointment shall take effect from the date on which they report to duty. Consequent on their appointment as Stenographer - II of Central Tax, they have been allotted to the Zone mentioned against their names.

क्रमांक Sl.No.	अधिकारी का नाम श्री/श्रीमती/कु॰ Name of the candidate Shri/Smt./Kum.	जन्मतिथि Date of Birth	आवंटित किया गया जोन Zone Allotted
1.	Omar Shaheed	10.01.1994	Hyderabad
2.	Navneet Kumar	08.07.1997	Visakhapatnam
3.	Prerna Chauhan	10.07.1998	Hyderabad
4.	Shivanee Chaudhary	08.01.1998	Hyderabad
5.	Deepak Yadav	11.12.1995	Visakhapatnam
6.	Vineet Kumar	08.06.1998	Visakhapatnam

2.उम्मीदवार केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग सीसीएस (कंडक्ट) नियम, 1964 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

The Candidates will be governed by the provisions of the Central Excise and Customs Department CCS (Conduct) Rules, 1964 as amended.

3.उम्मीदवार अनंतिम नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। सक्षम अधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। उम्मीदवार द्वारा दिए गए तथ्यों पर कोई आपित्त नहीं है उस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि, परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने और पृष्टीकरण के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन, अनंतिम नियुक्ति की पृष्टि के लिए विचार किया जाएगा।

The candidates shall be on probation for a period of two years from the date of provisional appointment, the period of which can be extended at the discretion of the Competent Authority. On receipt of verification reports that there are no objections on the facts given by the candidate, subject to completion of the probation period satisfactorily and passing the Departmental Examination for confirmation, the provisional appointment will be considered for confirmation.

4.केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उनकी सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने के नोटिस पर, बिना कोई कारण बताए, समापनीय होंगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नोटिस की अविध के लिए अथवा उस अविध के असमाप्त हिस्से के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल समाप्त करें अथवा नोटिस की निर्धारित अविध की समाप्ति से पहले समाप्त करें।

The candidates' services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating their services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to them of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

5. छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबन्धित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा के हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, the candidates are governed by the rules and the orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which they may belong.

6.कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेना होगा या इस प्रभाव के सत्यनिष्ठा अभिकथन देना होगा।

On joining the post, the candidates will be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

7.यदि वे स्थाई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थाई सेवा पूरी नहीं की हैं, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

The candidates will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless they are permanent Government servants or have completed three years of temporary service.

8.भारत सरकार के अधीन में भर्ती के लिए लागू उपयुक्त नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment under the Government of India,

- (क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या जो, एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती हैं, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे आदेश देने के विशेष कारण हैं।
- (a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख)कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पित के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह से समय जीवित हो, नियुक्ति की पात्र नहीं होगी बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी है।

b) No such women whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

9.अतः यह अनंतिम नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें। अगर वे उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाए तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह अनंतिम निर्णय किया जाता है कि उन्हें केन्द्रीय कर के आशुलिपिक – ॥ पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएँ तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी।

This offer of provisional appointment is, therefore, conditional upon the candidates' satisfying the requirements mentioned. In case, they don't fulfill the above conditions and they desired to be exempted from the above mentioned rules for any reason, they should make a representation in this behalf immediately. This offer of provisional appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to them in due course if upon consideration of their representation, it is decided to offer them appointment to the post of Stenographer - II of Central Tax.

10.तेलंगाना/आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद/विशाखापटनम क्षेत्र के आशुलिपिक – II के सामान्य संवर्ग में उनकी परस्पर-वरिष्ठतालागू आदेशों के अनुसार तय किया जाएगा।

Their inter-se-seniority in the common cadre of Stenographer - II of Hyderabad/Visakhapatnam Zone in the State of Telangana/Andhra Pradesh will be fixed according to the orders in force.

11.उम्मीदवार को किसी भी समय तेलंगाना/आंध्रप्रदेश के संवर्ग नियंत्रण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता हैं। तेलंगाना/आंध्रप्रदेश के बाहर किसी अन्य आयुक्तालय में उनकी तैनाती से संबन्धित किसी भी निवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

The candidates are liable to be transferred anywhere within Cadre Control jurisdiction of Telangana/Andhra Pradesh at any point of time. Under no circumstances the request for posting to any other Commissionerate outside Telangana/A.P. will be entertained.

12.उम्मीदवार अपनी धार्मिक आस्था बदलने की सूचना तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी को दें।

The candidates should intimate the appointing authority as and when they change their religious faith.

13.अगर उम्मीदवार रोजगार हेतु पहले ही आवेदन दे चुके हैं / किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठ चुके हैं तो उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय यह सूचना भी देनी चाहिए।विभाग प्रमुख को आवेदन पत्र को आगे अन्य सरकारी कार्यालयों या कहीं और अग्रेषित करने या रोकलगाने का पूर्ण अधिकार होगा।

The candidates should also intimate at the time of reporting for duty, if they had already applied / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of their applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

14. यदि उम्मीदवार केन्द्र / राज्य सरकार / भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रित या स्वामित्व वाले या राज्य सरकार / किसी उपक्रम / विश्वविद्यालय / स्वतंत्र निकाय, में कार्यरत है तो उन्हें संबन्धित नियोक्ता से प्राप्त उचित कार्यमुक्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

If candidates are employed with Central/State Government / an Undertaking owned by or controlled by the Government of India or a State Government / an autonomous body / University / local body, they should produce proper relief report from the employer concerned.

15.यदि उम्मीदवार पद त्यागने के इच्छुक हैं तो उन्हें अपने इस अभिप्राय के विषय में 1 माह पूर्व नोटिस देना होगा और केंद्रीय शुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर वे प्रासंगिक नियमों में उल्लेखित अर्थदण्ड के जिम्मेदार होंगे।

If candidates desire to resign, they should give one month notice in advance about their intention to do so and must obtain written permission from the jurisdictional Commissioner of Central Tax. Failure to do so will render their liable to the penalties prescribed in the relevant rules.

16.यदि उम्मीदवार के पास कोई रोजगार नामांकन कार्ड (X∘10) है, तो उसे संबन्धित नियोक्ता/ प्रशासनिक प्राधिकरण को लौटाना होगा।

The candidates should surrender their Employment Registration Card (X.10) held if any, to the Appointing / Administrative authority concerned, at the time of reporting for duty.

17.यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में (एम एच ए ओ एम संख्या 42/21/49-NGS दिनांक 28.01.1952 में यथा निर्धारित,कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94-Estt (Res) दिनांक 02.07.1997 में यथा संशोधित लागू), उल्लेखित किसी भी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वे नोट करें कि उनकी नियुक्ति अनंतिम होगी और उचित माध्यमों माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है, यदि उनका अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का या क्रीमी लेयर के न होने का दावा झूठा पाया पाया जाता है, तो उनके सेवाएँ बिना कोई कारण बताए और बिना पक्षपात के,भारतीय दंड संहिता में झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने संबन्धित आगे की कार्यवाही सहित समाप्त कर दी जाएंगी। उन्हें नियुक्ति के पश्चात अपने धर्म परिवर्तन की जानकारी, यदि कोई हो तो, तत्काल ही संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक अधिकारियों को देनी चाहिए।

If candidates claim to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, they have to produce a certificate issued in the prescribed format(as prescribed in M.H.A.O.M No. 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended /DOPT O.M. No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue authorities mentioned therein. They should note that their appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or the candidates do not

belong to such category and the certificate is found to be false, their services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. They should also intimate the change, if any, of their religion, after appointment, immediately to the Appointing/ Administrative Authorities concerned.

18.यदि उम्मीदवार के द्वारा की गई घोषणा या प्रस्तुत जानकारी गलग पाई जाती है तथा उनके द्वारा जानबूझकर किसी वैवाहिक जानकारी को छिपाया जाना पाया जाता है तो वे सेवाओं से हटाए जाने के और सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली किसी कानूनी / आपराधिक कार्यवाही के उत्तरदाई होंगे।

If any declaration given or information furnished by the candidate is proved to be false and if they are found to have willfully suppressed any marital information, they will be liable for removal from service and other legal/criminal action will also be taken which Government may deem necessary.

19. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्ण रूप से अस्थायी है और संबन्धित जिला / पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी पूर्ववृत, संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षा प्रमाणपत्र, पिछले काम की जगह की संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट के प्राप्त होने के अधीन है। संबन्धित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के मामले में या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वयं के घोषणा पत्र में कोई गलत सूचना दी गई है, एक परिणाम के रूप में अनंतिम नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया जाएगा और अन्य आपराधिक / कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, सेवाएं किसी भी कारण या नोटिस के बिना बताए तुरंत समाप्त हो जाएंगी।

This offer of appointment is purely provisional and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District/ Police Authorities, Caste certificate from the concerned issuing authority, verification of certificate of education issued by the University/Competent Authority, Vigilance Clearance Certificate issued by concerned authority at previous working place. In case any adverse / negative report is received from the concerned Authorities, the provisional appointment letter will be cancelled forthwith and other criminal/legal action will also be taken, as a consequence.

20.नियमित तैनाती के पूर्व नव नियुक्त कर सहायकों कोसंबधित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

The newly appointed Stenographer - II should undergo the mandatory training in RTIs concerned before they are given a regular posting.

21. उक्त कर्मचारियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1-खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं॰ 5/7/2003-ईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन प्रणाली लागू होगी। सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के तहत तकनीकी त्यागपत्र देकर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थाई सरकारी कर्मचारी के लिए यह लागू नहीं होगी।

The candidates will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003- published in Gazette of India, Extraordinary, Part I-Section , I dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

22.यदि उम्मीदवारों को उपरोक्त नियम व शर्तें स्वीकार्य हैं तो 11.08.2020 को या उससे पहले, हैदराबाद क्षेत्र को आवंटित किया गया उम्मीदवारों, अपर आयुक्त, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय तथा विशाखापट्टनम क्षेत्र को आवंटित किया गया उम्मीदवारों, संयुक्त आयुक्त(मुआका) मुख्य आयुक्त कार्यालय, विशाखापट्टनम के समक्ष ड्यूटी के लिए अपने मूल शैक्षिक/जाति/दिव्यांग प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। यदि वे नियततिथि पर से उससे पूर्व

ड्यूटीपर उपस्थित नहीं होते है तो यह नियुक्ति आदेश, उन्हें बिना किसी भी संदर्भ को सूचित किए हुए,रद्द समझा जाएगा। तैनाती स्थान पर कार्य ग्रहण करने हेतु उन्हें कोई भी यात्रा या अन्य भत्ता कोदेय नहीं होगा।

The candidates allotted to Hyderabad Zone should report for duty before the Additional Commissioner (CCA) Hyderabad GST Commissionerate and the candidates allotted to Visakhapatnam Zone should report for duty before the Joint Commissioner (CCO), Chief Commissioner's Office, Vishakapatnam on or before 22.08.2020 along with original Education/Caste/PH certificates, if the above terms and conditions of appointment order are acceptable to him/her. If he/she fails to report for duty on or before the stipulated date, this appointment order will be treated as cancelled without making any further reference to him/her. No traveling or any other allowance will be admissible to him/her for joining at the place of posting.

Encl: As above

(P.D PULI) ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)

प्रतिTo

- 1) Shri Omar Shaheed S/o Khurshid Alam H.NO. G-340/1/A, Meher Manzil, Garden Reach Road, Kolkata, West Bengal – 700024. Mobile: 6289408390
- 3) Ms.Prerna Chauhan, D/o Dev Prakash, Stenographer Grade 'D', Quarter No. 5, Postal Officers Colony, Near Circuit House, Shahibaug, Ahmedabad, Gujarat – 380004. Mobile: 6354835954
- 5) Shri Deepak Yadav, S/o Rambabu Yadav, H-57-A Railway Colony, Govind Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh – 208006. Mobile: 7388024611.

- 2) Shri Navneet Kumar Stenographer Grade III, ICAR-Indian Institute of Rice Research, Rajendra Nagar, Hyderabad – 500030. Mobile: 8650251113.
- 4) Ms. Shivanee Chaudhary, D/o Jogendra Singh Chaudhary, Moh-Nai Basti, Hydrill Colony (Shiv Colony), Ward No.-4, Thakurdwara Moradabad Dist., U.P – 244601. Mobile: 9639203130
- 6) Shri Vineet Kumar, S/o Balveer Singh, Jay Singh Jot Village, Rehar (Post), Dhampur, Bijnor Dist., U.P-246722, Mobile: 7668204348

प्रतिलिपि Copy submitted to:

- 1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, केन्द्रीय शुल्क, हैदराबाद /वैजाग क्षेत्र। The Chief Commissioner, Customs, Central Tax, Hyderabad/Vizag zone.
- 2. स्टॉक फ़ाइल/ नोटिस बोर्ड Notice Board/Stock File.

(P.D PULI)

ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)